उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1992)

THE UTTAR PRADESH LAWS (EXTENSION TO TERRITORIES TRANSFERRED FROM HARYANA) ACT, 1989

(U.P. Act No. 18 of 1992)

उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1992]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 1992 ई0 को पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 10 अगस्त, 1992 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 14 अगस्त, 1992 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा–परिवर्तन) अधिनियम, 1979 के द्वारा या अधीन हरियाणा से अन्तरित राज्यक्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त विधियों का विस्तार करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें ।

परिभाषाएँ

2– इस अधिनियम में,–

(क) "हरियाणा विधि" का तात्पर्य किसी हरियाणा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या परिनियत लिखतों के उस भाग से है, जिसका सम्बन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची दो और तीन में प्रगणित किसी विषय से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त पंजाब का कोई अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या परिनियत लिखत भी है ;

(ख) "राज्य विधि" का तात्पर्य किसी उत्तर प्रदेश के अधिनियम, अध्यादेश विनियम या अन्य परिनियत लिखत के उस भाग से है जिसका सम्बन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची दो और तीन में प्रगणित किसी विषय से है ;

(ग) "अन्तरित राज्य क्षेत्र" का तात्पर्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 द्वारा हरियाणा राज्य से अन्तरित और उत्तर प्रदेश में परिवर्द्धित राज्य क्षेत्र से है ।

राज्य विधियों का एकरूप करना

3–(1) अन्तरित राज्य क्षेत्र में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राज्य विधियों का विस्तार उसके तृतीय स्तम्भ मे विनिर्दिष्ट उपान्तरों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से होगा और उन विधियों के अधीन सभी की गयी नियुक्तियों, दिये गये आदेशों या किये गये परिनियत लिखतों का विस्तार यथावश्यक परिवर्तन सहित जहां तक वे उक्त उपान्तरों से असंगत नहीं है, अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

होगा और ऐसे उपान्तरित रूप में वह सक्षम विधान मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित किये जाने तक प्रवृत्त बना रहेगा ।

(2) अन्य सभी राज्य विधियाँ जिनका विस्तार या प्रवृत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में है किन्तु जिनका विस्तार या प्रवृत्ति अन्तरित राज्यक्षेत्रों में नही है, ऐसे दिनांक से अन्तरित राज्यक्षेत्रों में, यथास्थिति या विस्तारित या प्रवृत्त होंगी और सक्षम विधान मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित होने तक प्रवृत्त बनी रहेगी ।

(3) सभी हरियाणा विधियां जिनकी प्रवृत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व सम्पूर्ण अन्तरित राज्य क्षेत्रों में या उसके किसी भाग में है, ऐसे दिनांक से, उन राज्यक्षेत्रों में अपने प्रवर्तन के सम्बन्ध में निरसित हो जायेंगी और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों उन विधियों का निरसन और पुनः अधिनियमन अन्तरित राज्यक्षेत्रों में उपधारा (1) और (2) के आधार पर तदनुरूप विधियों द्वारा किया गया हो ।

(4) संदेहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि ––

(क) किसी राज्य विधि द्वारा यथा संशोधित ऐसा कोई केन्द्रीय अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या अन्य परिनियत लिखत जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवृत्त है, ऐसे दिनांक से अन्तरित राज्यक्षेत्रों में इस प्रकार संशोधित रूप में प्रवृत्त होगा ;

(ख) किसी हरियाणा विधि द्वारा यथा संशोधित ऐसा कोई केन्द्रीय अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या अन्य परिनियत लिखत जो ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त है, ऐसे दिनांक से अन्तरित राज्यक्षेत्रों में उसी प्रकार प्रवृत्त होगा मानो किसी हरियाणा विधि द्वारा उसमें कोई संशोधन नही किया गया है ।

वाद, अपील आदि का निस्तारण

4–(1) अन्तरित राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष किसी हरियाणा विधि के अधीन लम्बित सभी वाद, अपील, आवेदन–पत्र या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से, धारा 3 की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट राज्य विधियों के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन संस्थित या दाखिल किए गए वाद, अपील, आवेदन–पत्र या अन्य कार्यवाहियाँ समझी जायेगी और तद्नुसार निस्तारित की जायेगी ।

(2) किसी हरियाणा विधि के अधीन सभी वाद, अपील, आवदेन–पत्र या अन्य कार्यवाहियाँ जिन पर उपधारा (1) के उपबन्ध लागू नहीं होते, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से उपशमित हो जायेंगी ।

विधि के लागू किये जाने को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय की शक्ति

5–इस प्रयोजन के लिए कि अन्तरित राज्यक्षेत्रों में धारा 3 की उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित किसी राज्य विधि को लागू करना सुविधाजनक हो, कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी तत्व को प्रभावित किये बिना उस विधि का अर्थ ऐसे परिवर्तन सहित कर सकता है जो न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष विषय से उसकी अनुकूलित करने के लिये आवश्यक या उचित हो ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

6–(1) यदि उपधारा 3 की उपधारा (3) में उल्लिखित विधियों से उसकी उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित विधियों के संक्रमण के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पाँच वर्ष के पश्चात् नही दिया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश को किसी दिनांक से जो उत्तर प्रदेश राज्य में अन्तरित राज्यक्षेत्रों के परिवर्द्धन के दिनांक से पूर्व का न हो, भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नही की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई का अस्तित्व नही था या दूर करना अपेक्षित नही था ।

अनुसूची

[धारा 3 (1) देखिये]

क्रम–संख्या	उत्तर प्रदेश अधिनियम का संक्षिप्त नाम और धारा	धारा	उपान्तर की सीमा
1	2	3	4
1	उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950	धारा 3	धारा 3 में –– (1) खण्ड (8) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् –– " (8) "आस्थान" का पूर्ववर्ती हरियाणा राज्यक्षेत्र के निर्देश में –– तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है –– (क) जिसके लिए पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन पृथक अधिकार अभिलेख तैयार किया गया हो ; या (ख) जिस पर पृथक रूप से मालगुजारी का निर्धारण किया गया हो या मालगुजारी का निर्धारण इस प्रकार किया जाता यदि पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन मालगुजारी को निर्मुक्त, प्रशमित या मोचित न किया जाता ; या (ग) जिसे पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (सी) के उपबन्धों के अधीन आस्थान घोषित किया गया हो ।" (2) खण्ड (12) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् –– "(12) "मध्यवर्ती" का किसी आस्थान के प्रति निर्देश मे तात्पर्य पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 की धारा 4 के खण्ड (6) और (7) में यथा परिभाषित "लैण्डलार्ड" से है और इसके अन्तर्गत ऐसा काश्तकार भी है जो उस भूमि के संबंध में पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों में यथावर्णित दखीलकारी अधिकार रखता हो, जिसे उसने शिकमी पर उठाई हो।"

1	2	3	4
			(3) खण्ड (26) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात् ——
			"(26) "पूर्ववर्ती हरियाणा राज्यक्षेत्र" का तात्पर्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 द्वारा हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य को अन्तरित क्षेत्रों से है ;
			(26—क) "मौरूसी दर" का पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य क्षेत्र में किसी भूमि के निर्देश में तात्पर्य पहिले के हरियाणा राज्यक्षेत्र से आसन्न उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रचलित उसी प्रकार की भूमि की लगान की दरों से है ;
			(26—ख) "मालगुजारी" का अध्याय तीन और पाँच के प्रयोजनों के लिए तात्पर्य पंजाब लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के अधीन निर्धारित मालगुजारी से है ;
			(26—ग) "लगान" का तात्पर्य ऐसी किसी धनराशि से है जो किसी काश्तकार द्वारा भू—स्वामी को या शिकमी काश्तकार द्वारा अधिकार अभिलेख वाले किसी काश्तकार को भूमि के उपयोग या अध्यासन के लिए धन या जिन्स या सेवा में देय हो ;
			(26—घ) "काश्तकार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि रखता है किन्तु किसी विशेष संविदा के कारण उस अन्य व्यक्ति को उस भूमि के लिए लगान का देनदार है या होगा ;
			(26—ङ) "दखीलकारी अधिकार वाला काश्तकार" का तात्पर्य ऐसे काश्तकार से है जिसे पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 के अध्याय—दो के उपबन्धों के अधीन दखीलकारी अधिकार हो ;
			(26—च) "शामिलात देह" का तात्पर्य हरियाणा में यथा प्रयोज्य पंजाब विलेज कामन लैण्ड्स

1	2	3	4
			(रेगुलेशन) ऐक्ट, 1961 की धारा 2 के खण्ड (जी) में विनिर्दिष्ट भूमि से है ; (26—छ) "महाल" का तात्पर्य किसी ऐसे भू—स्वामी की जोत से है जिसे पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गए अधिकार अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित किया गया हो, " (4) खण्ड (29) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् —— "(29) भाग एक में "अधिकार अभिलेख" के किसी भी अभिदेश के अन्तर्गत पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन तैयार किया गया जमाबन्दी भी है ;"
		धारा 4	धारा 4 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—— "(3) इस धारा के उपबन्ध "शामिलात देह" पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे आस्थानों पर लागू होते है ।"
		धारा 8	धारा 8 में, शब्द और अंक "8 अगस्त, 1946 ई0" के स्थान पर शब्द और अंक "पन्द्रह सितम्बर, 1983" रख दिये जायेंगे ।
		धारा 14	धारा 14 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—— "(2) जहाँ ऐसी कोई भूमि उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बन्धकों की निजी जोत में रही हो, वहाँ धारा 18 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वह भूमि बन्धकी के पास उपर्युक्त दिनांक को दखीलकारी अधिकार रखने वाले काश्तकार के रूप में थी।"

1	2	3	4
		धारा 18	धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् ——
			"18 मध्यवर्ती या संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में खेतिहरों के साथ कतिपय भूमि का बन्दोबस्त किया जाना ——
			ऐसी सब भूमि जो निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को किसी व्यक्ति की निजी जोत में हो और ——
			(क) उसके द्वारा घृत हो या घृत समझी जाय और वह खुदकाश्त मालिक के रूप में मध्यवर्ती हो ;
			(ख) उसके द्वारा ऐसे काश्तकार के रूप में घृत हो जिसे पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन दखीलकारी अधिकार हो ;
			(ग) उसके द्वारा शाश्वत धारण करने वाले काश्तकार के रूप में या पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 की धारा 35 में निर्दिष्ट नियत अवधि के लिए घृत हो ;
			(घ) उसके द्वारा काश्तकार के रूप में पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 की धारा 41 में निर्दिष्ट वर्षानुवर्ष घृत हो ;
			(ङ) उसके द्वारा गैर–मौरूसी काश्तकार के रूप में घृत हो ;
			(च) उसके द्वारा पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1889 की धारा 58 के अधीन दखीलकारी अधिकार रखने वाले काश्तकार के शिकमी काश्तकार के रूप में घृत हो ;
			(छ) उसके द्वारा पंजाब विलेज कामन लैण्ड्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1961 की धारा 5 के तृतीय परन्तुक के अधीन शामिलात देह के प्रदेशनगृहीता के रूप में घृत हो ;
			(ज) उसके द्वारा पंजाब लैण्ड रिकार्डस् मैनुअल के उपबन्धों के अधीन पूर्ववर्ती

1	2	3	4
			हरियाणा राज्यक्षेत्र में रखे गए भू–अभिलेखों में धौलीदार या भंडेदार के रूप में किसी नाम से अभिलिखित किसी अन्य वर्ग के काश्तकार के रूप में धृत हो ;
			(झ) पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गये अधिकार अभिलेख में अध्ययासी के रूप में किसी अन्य नाम में अभिलिखित हो और जहां कोई बेहतर काश्तकारी अधिकार न हो, वहां ––
			राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के साथ बन्दोबस्त की गयी समझी जायेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में उसका कब्जा लेने या बनाये रखने का हकदार होगा ।"
		धारा 19, 20 और 21	धारा 19, 20 और 21 निकाल दी जायेगी ।
		धारा 22, 23 और 24	धारा 22, 23 और 24 में, जहां–जहां भी शब्द और अंक "1 जुलाई, 1948 ई0" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "पन्द्रह सितम्बर, 1983" रख दिये जायेंगे ।
		धारा 32 और 33	धारा 32 और 33 में, जहां–जहां भी शब्द और अंक "यूनाइटेड प्राविन्सेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901" या "यूनाइटेड प्राविन्सेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 ई0" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "दि पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887" रख दियें जायेंगे ।
		धारा 37	धारा 37 में स्पष्टीकरण को निकाल दिया जायगा ।
		धारा 39	धारा 39 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उप खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् –

1	2	3	4
			"(2) यदि लगान जिन्स में या अंशतः नकद में और अंशतः जिन्स में देय हों, तो लगान की गणना नियत रीति से की जा सकती है ।"
		धारा 44	धारा 44 में, ——
			(1) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् ——
			"(ख) ऐसी धनराशि जो मध्यवर्ती द्वारा पिछले कृषि वर्ष के लिये हरियाणा लैण्ड होल्डिंग्स टैक्स ऐक्ट, 1973 के अधीन उद्गृहीत और देय जोतकर, यदि कोई हो, के निमित्त हो ;"
			(2) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् ——
			"(घ) जहां कोई भूमि मध्यवर्ती के पास उसकी निजी जोत मे ंहो, वहां भूमि के केवल ऐसे भाग के लिये जो उसकी निजी जोत में हो या खुदकाश्त के रूप में उसके पास हो, मौरूसी दरों पर संगणित धनराशि जिसमें से आगे उल्लिखित (1) से (3) कटौतियां निकाल दी जायेंगी–
			(1) ऐसा जोतकर, यदि कोई हो, जो पिछले कृषि वर्ष में हरियाणा लैण्ड होल्डिंग्स टैक्स ऐक्ट, 1973 के उपबन्धों के अधीन उद्गृहीत और देय हो ;
			(2) मालगुजारी, अववाव और स्थानिक कर जो पिछले कृषि वर्ष में उक्त भूमि के संबंध मे देय रहा हो जिनका अभिनिश्चय नियत रीति से किया जायगा ; और
			(3) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट विषयों के निमित्त उपर्युक्त धनराशि का पन्द्रह प्रतिशत ।"

1	2	3	4
		धारा 77	धारा 77 में (जिसमें उसका पाश्व शीर्षक भी है) जहां–जहां भी शब्द और अंक "8 अगस्त, 1946 ई0" आयें हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "पन्द्रह सितम्बर 1983" रख दिये जायेंगे ।
		धारा 103	धारा 103 निकाल दी जायेगी ।
		धारा 117	धारा 117 में, उपधारा (1) में, खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् –– "(5) ऐसी भूमि पर जिन पर धारा 18 के उपबन्ध लागू होते हों या धारा 9 में अभिदिष्ट स्थलों और क्षेत्रों पर लगने वाले हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेला ;"
		धारा 117–क	धारा 117–क में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) और (ख) में, जहां–जहां भी शब्द "7 जुलाई, 1949" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक" रख दिये जायेंगे ।
		धारा 130	धारा 130 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्–– "(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 18 के उपबन्धों के अधीन भूमिधर हो गया हो ; "
2	उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960	धारा 4–क	धारा 4–क, जहाँ–जहाँ शब्द और अंक "वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "ऐसे वर्ष जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे" रख दिये जायेंगे ।

उद्देश्य और कारण

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा—परिवर्तन) अधिनियम, 1979 के अधीन उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के बीच स्थायी सीमा निर्धारित की जा चुकी है। ऐसी सीमा निर्धारण के फलस्वरूप हरियाणा के कुछ राज्य क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर और अलीगढ़ जिलों में सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 27 के उपबन्धों के अनुसार हरियाणा राज्य की कुछ विधियां अभी भी अन्तरित क्षेत्रों पर लागू नहीं है।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त विधियों में एकरूपता लाने और भविष्य में कोई कठिनाई न हो, इस दृष्टि से यह व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया कि हरियाणा राज्य की विधियों का इस राज्य को अन्तरित क्षेत्रों पर लागू होना समाप्त हो जाय और उक्त अन्तरित क्षेत्रों पर, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 4—क को छोड़कर जिन्हें कतिपय उपान्तरों के साथ प्रवृत्त किया जा रहा है, इस राज्य की सभी विधियां लागू की जायं।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 पुरःस्थापित किया जाता है।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 152 सा0 विधायी–07.02.2022–(1377)–700 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।